

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2344]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 17,2014/कार्तिक 26, 1936 NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 17, 2014/KARTIKA 26, 1936

No. 2344]

शहरी विकास मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली.17 नवम्बर. 2014

का.आ. 2924(अ).— केन्द्र सरकार एतदद्वारा मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सतीश चन्द्र, महाप्रबंधक, (विधिक) दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को 30 जून, 2015 तक दिल्ली मेट्रो के संचालन से उत्पन्न होने वाली दुर्घटनाओं, जिनमें व्यक्ति की मौत, शारीरिक चोट या किसी भी संपत्ति का नुकसान शामिल है, के लिए मुआवजे हेतु दावों के अधिनिर्णय के प्रयोजन के लिए उनके द्वारा पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने की तिथि से दावा आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपती है।

[फा.सं. के-14011/21/2013-एमआरटीएस-।] एस. के. गृप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2014

S.O. 2924(E).— In exercise of the powers conferred by section 48 of the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), the Central Government hereby assigns additional charge of the post of Claims Commissioner to Shri Satish Chandra, General Manager (Legal), Delhi Metro Rail Corporation Limited with effect from the date of his taking over the additional charge of the post upto 30th June, 2015, for the purpose of adjudicating upon claims for compensation in respect of accidents involving the death of, or bodily injury to person, or damage to any property arising out of the working of the Delhi Metro.

[F. No. K-14011/21/2013-MRTS-I]

S. K. GUPTA, Under Secy.

4535 GI/2014